सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 486 राँची, गुरुवार

18 वैशाख, 1937 (श०)

9 जुलाई, 2015 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

8 जुलाई, 2015

विषय:-अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु कार्ययोजना ।

संख्या-1394,-- झारखण्ड राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन तथा व्यापार की रोकथाम हेतु विभागीय संकल्प संख्या-563/एमसी, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005 द्वारा जिला एवं राज्यस्तरीय टास्कफोर्स गठित है। इस टास्कफोर्स द्वारा नियमित कार्रवाई जिलों में की जाती रही है। खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन पर पूर्ण रूपेण रोकथाम करने हेतु राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एवं आरक्षी अधीक्षकों को जिम्मेवारियाँ सौपी गयी है, जिसके फलस्वरूप कुछ हद तक अवैध उत्खनन, परिवहन आदि पर अंकुश लगा

है, परन्तु राज्य सरकार को खनिज के वैध पट्टाधारी, व्यवसासियों को इस क्षेत्र में सहजता से कार्य करने के उद्धेश्य से अवैध खनन कर्ताओं एवं अवैध व्यापार करने वाले के विरूद्ध ठोस एवं नियमित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है ताकि पर्यावरण का संरक्षण एवं खनिज का उत्खनन मानक ढंग से हो सके।

उपरोक्त के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निम्न रूपेण कार्ययोजना प्रस्तावित है :-

कार्ययोजना :-

1. जिलों में स्वीकृत सभी खनिज (लघु एवं वृहत) के पट्टो एवं खनिज विक्रेताओ की सूची जिलों के उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी को जिला खनन पदाधिकारी द्वारा संकल्प निर्गत होने की तिथि से दस दिनों के अन्दर अचूक रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला प्रशासन को सभी अवैध् खनन स्थल को चिन्हित करने का उत्तरदायित्व होगा।

2. जिलास्तरीय टास्कफोर्स द्वारा तीन माह तक लगातार विशेष अभियान चलाकर केन्द्रीय अद्र्ध सैनिक बल/जिला बल के सहयोग से अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के स्थल पर लगातार छापेमारी की जाएगी एवं संबंधित विभाग के अधिकृत पदाधिकारी (यथा वाणिज्यकर, वन एवं पर्यावरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग आदि) अपने-अपने विभाग के अन्तर्गत प्रभावी नियमों के प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत कार्रवाई यथा परिवाद आदि सक्षम न्यायालय में दायर करेंगें एवं उसकी कृत कार्रवाई प्रतिवेदन Action Taken Report विभाग को प्रत्येक माह भेजेगें।

3. जिला खनन पदाधिकारी द्वारा ऊर्जा विभाग को वैसे क्रशर स्थलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया जाएगा, जिनके पास खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति/खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है ताकि विद्युत कनेक्शन अवैध स्थलों पर विच्छेदित हो सके।

4. खनिज आधारित व्यवसाय- उद्योग की स्थापना जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के बिना अनुमोदित नहीं किए जाएगें। सभी जिला खनन पदाधिकारी निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक सूची प्रत्येक माह विभाग/खान निदेशालय को भेजेंगें।

5. सभी उप निदेशक, खान प्रत्येक माह में न्यूनतम पाँच दिन अपने क्षेत्र अन्तर्गत औचक निरीक्षण एवं छापेमारी संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करेंगें।

6. अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर जिलास्तरीय टास्कफोर्स द्वारा निरंतर निगरानी की जाएगी।

7. जिलास्तरीय टास्कफोर्स प्रत्येक माह में अपने जिला में अवैध उत्खनन/ भंडारण/व्यापार की रोकथाम हेतु की गयी कार्रवाई से संबंधित Action Taken Report संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को समर्पित करेंगें।

8. राज्यस्तरीय टास्कफोर्स द्वारा प्रत्येक तिमाही में किसी एक जिले का औचक निरीक्षण किया जाएगा।

9. अवैध खनन में न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये व्यक्ति/प्रतिष्ठान को राज्य अन्तर्गत खनिज के पट्टें /अनुज्ञप्तियाँ निर्गत नहीं की जाएगी।

10. वाणिज्यकर विभाग द्वारा खनिज से जुड़े व्यवसायी/ पट्टाधारियों को निर्गत TIN संख्या एवं विवरणी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी को प्रत्येक तिमाही में भेजी जाएगी ताकि उनका सत्यापन किया जा सके एवं ई-चालान के माध्यम से अवैध कारोबार करने वाले पर कार्रवाई की जा सके।

11. यह संकल्प प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
आनन्द मोहन ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 486—50 ।